न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पोकराराम पुत्र बलुरामजी उचित मूल्य दुकानदार चौरा तहसील सांचोर जिला जालोर		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 20/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1-श्री जगदीश गोदारा वकील अपीलान्ट।

2-श्री पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन अधिकारी,जालोर

निर्णय

दिनांक:-30.11.2017

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा आदेश क्रमांक/रसद/एफपीएस/2017/2613 दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को Subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को अधिकृत खुदरा विक्रेता उचित मुल्य की दुकान ग्राम चौरा तहसील सांचोर की दुकान आवंटन की हुई है, जो पिछले कई वर्षो से उक्त दुकान अपीलार्थी चला रहा है। अपीलार्थी ने पिताजी के इलाज हेतु अवकाश लिया था तथा अपीलार्थी के पिताजी की गंभीर बीमारी के कारण मुम्बई के अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। जिस कारण अपीलार्थी अवकाश पर था। अवकाश पर होने के कारण श्री बाबुलाल पुत्र धनाराम उचित मुल्य दुकानदार ग्राम लियादरा को अस्थाई वितरण व्यवस्था बाबत जिला रसद अधिकारी द्वारा वितरण व्यवस्था करने का आदेश दिया था।जिला रसद अधिकारी जालोर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2016 के संबंध में दिनांक 22.06.2016 को अवकाश स्वीकृत किया था। जिसके क्रमांक/ रसद/ एफपीएच/ 2016/1051 है।दिनांक 30.05.2017 को जिला रसद अधिकारी ने पत्र भेजकर बताया कि लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। अपना स्पष्टीकरण दे अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। अपीलार्थी ने दिनांक 19.06.2017 को निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 23.06.2017 को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जायेगा व अवकाश के संबंध में वस्तुस्थिति से लिखित में अवगत करवा देगा। दिनांक 23. 06.2017 को मैं अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी जालोर के कार्यालय में उपस्थित होकर पुनः काम पर लौटने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। दिनांक 29.06.2017 को जिला रसद अधिकारी ने आदेश पारित कर आदेश की अवहेलना एवं वितरण व्यवस्था प्रारंभ नहीं करने के मध्य नजर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने का आदेश दिया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी की यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलांट के वकील ने व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी जालोन ने अपीलार्थी के प्रकरण में कोई जांच न कर तथा दस्तावेजो पर कोई गैर न कर राजनैतिक कारणों से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 09.05.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस दरम्यान अपीलार्थी अपने पिताजी के ईलाज बाबत मुम्बई गया हुआ था। उक्त पत्र कि अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी।दिनांक 30.05.2017 को जिला रसद अधिकारी ने पत्र दिया था। उस दरम्यान अपीलार्थी मुम्बई में था। घर आने पर उक्त पत्र की जानकारी होने पर अपीलार्थी दिनांक 19.06.2017 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.06.2017 को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा। दिनांक 23.06.2017 को अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी के कार्यालय

सही/
जिला कलेक्टर,जालोर

में उपस्थित होकर निवेदन किया था कि अवकाश निरस्त कर कार्य पर लौट रहा हुँ तथा दुकान चालु करना चाहता हूँ। काम पर लौटने का आदेश प्रदान करावें। दिनांक 29.06.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने का आदेश गलत तरीके से एवं राजनैतिक कारणों से दिया गया आदेश खारिज योग्य है। दिनांक 29.06.2017 के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। दिनांक 28.08.2017 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं निवदेन किया कि काम पर लौटने का आदेश दिया जावें तब बताया की प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है तब अपीलार्थी ने 28.08.2017 को आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त हुई, प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई, जानकारी के अनुसार अपील अन्दर मियाद पेश है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

5. प्रर्वतन अधिकारी, जालोर ने व्यक्त किया कि अपीलांट एक वर्ष से अधिक समय से राशन सामग्री वितरण व्यवस्था से दूर होने तथा ग्रामीण उपभोक्ताओ में असंतोष होने व वर्तमान में अतिरिक्त दुकान भी स्वीकृत है। जनहित में उक्त राशन डीलर से वितरण व्यवस्था उचित नहीं होने से बाद सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार पारित आदेश विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्याय हित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेकर्ड अवलोकन अनुसार जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट को उचित मूल्य के दुकानदार की अवकाश अवधि 3 माह से अधिक समय होने पर रजिस्टर्ड नोटिस देते हुए नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में स्पष्टीकरण पेश करने व वितरण व्यवस्था प्रांरभ करने के संबंध में जारी किया गया था तत्पश्चात पत्रांक/2043-2048 दिनांक 30.05.2017 को पुन: अंतिम पत्र नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में स्पष्टीकरण पेश करने व वितरण व्यवस्था प्रांरभ करने के संबंध में नोटिस रजिस्टर्ड डाक से अपीलांट को भिजवाया गया। लेकिन अपीलांट ने दिनांक 19.06.2017 को अवकाश के संबध में अवगत करवाया कि आदेश दिनांक 22.06.2016 को अवकाश स्वीकृत करवाया था जिसके संबंध में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 30.05.2017 प्राप्त होना अपीलांट द्वारा स्वीकार किया है।

जिससे इस तथ्य की ताईद होती है कि अपीलांट लंबे समय से वितरण व्यवस्था से अनुपस्थित रहा है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा दिनांक 23.06.2017 को अपने जवाब में भी स्वीकार किया है कि अपीलांट 17.06.2016 से अवकाश पर था। साथ ही जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 1051 दिनांक 22.06.2016 के द्वारा अपीलांट के निवेदन पर दिनांक 20.06.2016 से अवकाश पर जाने के कारण ग्राम चौरा की वितरण व्यवस्था उचित मूल्य दुकानदार लियादरा को दी गई।

इस प्रकार नोटिस जारी कर विकरण व्यवस्था नियमित संचालित रखने के निर्देश के बावजूद वितरण व्यवस्था प्रारंभ नहीं करने एवं न ही कोई ठोस कारण अवगत नहीं करवाने के कारण जिला रसद अधिकारी जालोर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी जालोर के आदेशो की अवहेलना एवं वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं रखने के कारण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

सही/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,जालोर